निर्णय बईजलास डॉ0 भारती दीक्षित आई0ए0एस0जिला कलक्टर,झालावाड़

मिसल न0 31 /अपील/21

Capital Surgicals
Proprietor Rajesh saini S/O B_P_Saini
87,Shyam bhawan sunder Market,Near S.M.S Hospital,Jaipur
Versus
The supritendent SRG Hospital and Medical College Jhalawar

Appeal under section 38 of RTPP Act read with Rule 83 of RTPP Rules

उपस्थितः– श्री राम माहेश्वरी,अभिभाषक अपीलान्ट
डॉ.हरीश जैन,रेस्पोडेन्ट प्रतिनिधि

–: निर्णय :– दिनांकः 05.04.2022

अपील जर्ये अभिभाषक अन्तर्गत धारा 38 RTPP Act rule 83 के तहत एस आर जी हॉस्पिटल झालावाड़ द्वारा किये गये टेण्डर 4881/2020–2021 क्रम सख्यां 5 दिनांक 26.03.2021 के क्रम में प्रार्थी का टेण्डर प्रा0पत्र टेक्निकल आधार पर दिनांक 17.07.2021 को निरस्त कर दिया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अपील मीमों में निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील अति0निदेशक मेडिकल एजूकेशन जयपुर के समक्ष दिनांक 29.07.21 को आरटीपीपी एक्ट के अन्तर्गत पेश की जाने पर अति0 निदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा अपील मेंटेनेबल नहीं होने के कारण पुनः अपील माननीय उच्च न्यायालय में writ petition no CW/8520/2021 प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांकः 10.08.2021 को आरटीपीपी एक्ट के तहत अपील जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा टेण्डर 4881/2020–2021 क्रम सख्यां 5 दिनांक 26.03.2021 के क्रम एस आर जी हॉस्पीटल में नियमानुसार टेण्डर प्रा0पत्र फाईल किये गये थे किन्तु दिनांक 17.07.2021 को अपीलान्ट को टेक्सट मेसेज के द्वारा उसके टेण्डर रिजेक्ट होने की जानकारी दी गई । जिस पर अपीलान्ट द्वारा एस आर जी हॉस्पिटल एंव मेडिकल कॉलेज में दिनांक 19.07.2021 को प्रा.पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत टेण्डर पर विचार करने का निवेदन किया गया किन्तु प्रार्थी का टेण्डर टेक्निकल आधार पर निरस्त कर दिया गया। दो फर्मो द्वारा जो टेण्डर फाईल किये गये उसमें कई तकनिकी कमियां थी जिनको नजर अन्दाज कर उनको टेण्डर में शामिल किया गया जो गलत था । अपील स्वीकार कर आदेश दिनांकः 17.07.2021 जिसके द्वारा टेण्डर निरस्त किया गया को अपास्त कर अपीलान्ट को टेण्डर प्रक्रिया में शामिल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 की और से डॉ.हरीश जैन उपस्थित हुए ।

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अपीलान्ट का टेण्डर जानबूझकर प्रक्रिया में शामिल नही कर तकनिकी आधार पर निरस्त गलत किया गया है। टेण्डर मे शामिल अन्य फर्म द्वारा प्रस्तुत टेण्डर में भी कई कमियां थी किन्तु

जिला कलक्टर
झालावाड़

उनको नजर अन्दाज कर प्रकिया में शामिल किया गया है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत टेण्डर के साथ सभी शर्तों को स्वीकार किया गया था इस क्रम में घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया गया था कि कोई अतिरिक्त शर्त मानने के लिये बाध्य नही करूगां,किन्तु अपीलान्ट की निविदा को सशर्त निविदा की संज्ञा देकर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया जो गलत है अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 17.07.2021 को अपास्त कर अपीलान्ट को टेण्डर प्रक्रिया में शामिल किया जावे।

इस पर रेस्पोडेन्ट के प्रतिनिधी द्वारा व्यक्त किया रेस्पोडेन्ट द्वारा ई टेण्डर आमिन्त्रित किये गये थे जिसमें आर टी पी पी रूल्स की पालना में बिना शर्त के टेण्डर में शामिल होना चाहिये था किन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत टेण्डर सशर्त फाईल किया गया जिसे टेण्डर कमेटी द्वारा तकनिकी आधार पर निरस्त किया गया जो सही किया गया है। उन्होने व्यक्त किया कि टेण्डर में जो शर्तें थी उनकी पूर्ण पालना की गई है टेण्डर में शामिल अन्य फर्म की किसी भी कमी को नजर अन्दाज नही किया है । टेण्डर कमेटी ज्यादा से ज्यादा फर्म को आमन्त्रित करना चाहती थी जिससे की कम किमत में अच्छी सामग्री प्राप्त की जा सके। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत टेण्डर सशर्त प्रस्तुत किया जाना जाहिर है उनके द्वारा प्रस्तुत टेण्डर में 30 दिन में भुगतान बाबत शर्त का अंकन किया जाने पर ही टेण्डर कमेटी द्वारा सशर्त निविदा को तकनिकी आधार पर निरस्त किया गया है क्यों कि निविदा की शर्त संख्या 04.'' सशर्त निविदा मान्य नही होगी। निविदा शर्तो के प्रत्ये कपेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।'' उक्त निविदा की सामान्य शर्तों के पृष्ठ पर अपीलान्ट स्वंय के हस्ताक्षर भी है इसी क्रम में निविदा के साथ प्रस्तुत घोषणा पत्र '' हमें/मुझे अधीक्षक,श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालयय झालावाड़ हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कॉलेज सोसाईटी झालावाड़ द्वारा चिकित्सालय में Joint Replacement Items for THR,KTR,Arthoplasty,Shoulder Rate Contract करने हेतु निविदा, की समस्त शर्तें स्वीकार है मेरे द्वारा दी कोई अतिरिक्त शर्त सस्वीकार कराने के लिए मै विभाग को बाध्य नही करूंगा एवं विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की कठोरता से अनुपालना करूंगा।'' घोषणा पत्र स्वीकार किया जाकर हस्ताक्षर किये गये । किन्तु अपनी फर्म के लेटर हेड पर क्रम संख्या 5 में पेमेन्ट की शर्त'' Within 30 days from the date of Invoice'' अंकन किया गया जो सशर्त की श्रेणी में आता है। एक ओर तो अपीलान्ट अधीक्षक श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय झालावाड़ हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कॉलेज सोसाईटी झालावाड़ द्वारा दी गई निविदा की समस्त शर्त स्वीकार करते हैं और दूसरी ओर सशर्त निविदा भी प्रस्तुत करतें हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट की जानकारी में होने पर कि सशर्त निविदा मान्य नही है फिर भी उनके द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत की गई जो किसी भी रूप में मान्य नही थी। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत निविदा में निम्न त्रुटियां होने पर भी सिर्फ सशर्त निविदा के दृष्टिगत तकनिकी आधार पर शामिल नही की गई, त्रुटियां:– 01. किसी भी निविदा दस्तावेज पर पृष्ठ संख्या अंकित नही की गई 02. नान ज्यूडिशियल स्टाम्प किसी भी संस्था को सम्बोधित नही किया गया है।03. नान ज्यूडिशियल स्टाम्प नोटेरी पब्लिक द्वारा नोटेरीकृत नही है। 04. पृष्ठ संख्या 1 में निविदा कार्य का नाम ही नही भरा है। 05. पृष्ठ संख्या 2 में वांछित फोन मोबाईल न0 ई मेल पता नही भरा गया है। 06. पृष्ठ संख्या 2 पर दी गई तालिका में पंजीयन सं0 का वर्णन कर,उसकी छायाप्रति संलग्न कर,संलग्न पृष्ठ संख्या अंकित करनी थी,किन्तु अंकित नही की गई है। यह आवश्यक रूप से अंकित करनी थी, क्यों कि इस तालिका के नीचे बिन्दु सं0 2 में स्पष्ट लिखा है कि '' क्रम संख्या 1 से 11 तक की पालना करनी होगी। इसके अभाव में फर्म की वित्तिय निविदा नही खोली जावेगी। 07. पृष्ठ संख्या 5,6,7 पर Item Quoted का कॉलम खाली छोड़ दिया हे,जिसमें 'Yes' अथवा 'No' भरना आवश्यक था। 08.

पृष्ठ संख्या 10 पर घोषणा पत्र पर नियत स्थान पर हस्ताक्षर एंव दिनांक नही लिखी है। 09. पृष्ठ संख्या 16 पर 'Declaration by bidder' में निम्न कॉलम खाली छोड दिये हैः–

Date-----------
Place-------------------------

Signature of bidder
Name-----------------------
Designation-------------------
Address------------------------

उंपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा निविदादाताओं की लघु एंव सामान्य त्रुटियां (अपीलकर्ता केपीटल सर्जीकल सहित) तकनीकी समिति द्वारा राज्य सरकार व आम जनता के व्यापक हित में नजर अन्दाज की है । प्रकरण के अवलोकन व दौराने बहस व्यक्त किये गये कथन से रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 17.07.2021 को किये गये निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता जाहिर नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
झालावाड